



उत्तराखण्ड शर्करा संघ लि०  
पंजीकरण सं० 271488  
ई-मेल usugars@rediffmail.com  
फोन नं० 1471007704

**उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिलों संघ लि० (उत्तराखण्ड शुगरर्स)**  
53-बी, सुभाष रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

पत्रांक 1396.

दिनांक 27/12/12.

अधिसासी-निदेशक,  
किच्छा शुगर कम्पनी लि०, किच्छा  
डोईवाला शुगर कम्पनी लि०, डोईवाला।

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में पूर्व में प्रचलित पदोन्नति नीति को अवकमित करते हुए पदोन्नति नीति 2012 प्रख्यापित कर दी गयी है। उक्त पदोन्नति नीति की प्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया सम्बन्धित कार्मिकों को भी इस पदोन्नति नीति से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथापरि। (21 पृष्ठ)

भवदीय

Accountly  
(ए०के० भट्टाचार्य)  
नोडल अधिकारी

पुष्पारा कामिक्

W  
अ०के०  
03/01/13

## सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल डोईवाला/किच्छा हेतु निर्धारित पदोन्नति नीति।

सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में कार्यरत विभिन्न संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि० के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 29.05.1996 को अनुमोदित पदोन्नति नीति उत्तराखण्ड राज्य में भी यथावत लागू की गयी है। उत्तराखण्ड राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति की सम्बन्ध में पूर्व में प्रचलित नीति को अवकमित करते हुए पदोन्नति नीति 2012 प्रख्यापित की जा रही है। जो तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी -

- 1- वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष वैयक्तिक वेतनमान के रूप में अन्तिम प्राप्त वेतनवृद्धि के बराबर एक वेतन वृद्धि देय होगी परन्तु इनकी संख्या 03 से अधिक नहीं होगी।
- 2- विभिन्न पदों पर प्रोन्नति/समयमान वेतनमान की सुविधा अनुमन्य होगी। इस हेतु विभिन्न पदों पर न्यूनतम सेवा अवधि निर्धारित की गयी है तथा यह वेतनमान सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों हेतु अनुमोदित वेतनमानों में उपलब्ध अगला उच्च वेतनमान देय होगा।
- 3- उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु किसी भी पद पर न्यूनतम कार्य अवधि का निर्धारण प्रस्तावित किया गया है। पदोन्नति उच्चतर पद के उपलब्ध होने की स्थिति में अर्ह अभ्यर्थियों में से मैरिट के आधार पर प्रदान की जायेगी।
- 4- पदोन्नति हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का अनुपालन भी किया जायेगा।
- 5- उपरोक्त नीति के अनुपालन में वर्तमान अधिकारियों की कुल संख्या में कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं की गयी है।
- 6- किसी भी रिक्त पद को आवश्यकतानुसार संघ की सेवानियमावली के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति (On Deputation) के आधार पर भरे जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 7- उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सेवा नियमों/शासनादेशों के माध्यम से निर्धारित की जाने वाली नीतियों/मानकों का अनुपालन किया जायेगा एवं शासन की सामान्य गाईडलाईन के अनुसार चयन समिति का गठन किया जायेगा।
- 8- प्रोन्नति/समयमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक की समयमान/प्रोन्नति वेतनमान देय होने की तिथि से पूर्व 05 वर्ष की गोपनीय प्रविष्टियों को देखा जायेगा। जिस कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही गतिमान हो अनुशासनिक कार्यवाही के निर्णय तक समयमान/प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में विचार नहीं किया जायेगा तथा जाँच में निर्दोष पाये जाने पर पूर्ववर्ती देय तिथि से प्रोन्नत/समयमान वेतनमान अनुभन्य होगा। समयमान/प्रोन्नति वेतनमान की स्वीकृति के सम्बन्ध में विभागीय चयन समिति के सम्मुख प्रकरण प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी इसकी स्वीकृति प्रशासक, उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल संघ लि०, (उत्तराखण्ड शुगरर्स) द्वारा 05 वर्ष का गोपनीय प्रविष्टियों से सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन के उपरान्त अनुमोदन प्रदान किये जाने पर की जा सकेगी।
- 9- पदोन्नति नीति में यह भी प्रस्तावित है कि वेजबोर्ड के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को मैरिट पर चयन के आधार पर (Internally performance evaluation द्वारा) एक निर्धारित कार्यावधि के पश्चात् संघ के वेतनमान ₹ 6500-10500 में पदोन्नत किया जा सकेगा तथा तत्पश्चात् वह उच्चतर वेतनमान में उपरोक्त नीति के अनुसार पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे। विभागवार विभिन्न संवर्गों की पदोन्नति, प्रोन्नति वेतनमान/समयमान वेतनमान की स्वीकृति हेतु निर्धारित मानक संलग्न है।

उत्तराखण्ड राज्य स्थित डोईवाला शुगर कम्पनी लि० एवं किच्छा शुगर कम्पनी लि०

अभियन्ता संवर्ग

अभियन्त्रण संवर्ग में सहायक अभियन्ता जो डिग्री होल्डर थे उन्हें वेतनमान ₹ 8000-13500 में नियुक्त किया गया है परन्तु डिप्लोमा होल्डर को सहायक अभियन्ता पद पर वेतनमान ₹ 6500-10500 नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त कतिपय सहायक अभियन्ताओं जो पूर्व में शुगर वेजबोर्ड के वेतनमान में फोरमैन/सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे, को भी सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किया गया।

अभियन्त्रण संवर्ग में निम्न प्रकार के पदधारक कार्यरत हैं -

(अ)	सहायक अभियन्ता (डिप्लोमा धारक)	वेतनमान ₹ 6500-10500
(ब)	सहायक अभियन्ता (डिग्री धारक)	वेतनमान ₹ 8000-13500
(स)	उप मुख्य अभियन्ता	वेतनमान ₹ 9650-14600
(द)	मुख्य अभियन्ता	वेतनमान ₹ 10650-16175

उप मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता आदि के उच्च रिक्त पदों पर विभागीय अधिकारियों को चयन समिति के माध्यम से श्रेष्ठता के आधार पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए भरा जायेगा। इस नीति के अन्तर्गत डिप्लोमाधारक सहायक अभियन्ता 03 वर्ष बाद एवं ऐसे सहायक अभियन्ता जिन्होंने अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता के पदों पर कुल 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो उन्हें सहायक अभियन्ता ₹ 8000-13500 के वेतनमान पदोन्नति के लिए अर्ह माना जायेगा। कम्पनियों में भविष्य में सहायक अभियन्ताओं के रिक्त पदों को भरने के लिए सीधी भर्ती से सहायक अभियन्ता प्रशिक्षु अनुमन्य वेतनमान ₹ 8000-13500 के 70 प्रतिशत वेतन पर लिया जाना प्राविधानित है जिन्हें 02 वर्ष प्रशिक्षण के उपरान्त नियमित वेतनमान ₹ 8000-13500 प्रदान किया जा सकेगा। सहायक अभियन्ता के पद ₹ 8000-13500 में 08 वर्ष की सेवा के उपरान्त उप मुख्य अभियन्ता के पद पर वेतनमान ₹ 9650-14600 में पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे तथा उप मुख्य अभियन्ता वेतनमान ₹ 9650-14600 के पद पर 08 वर्ष की सेवा के उपरान्त मुख्य अभियन्ता वेतनमान ₹ 10650-16175 के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे।

पदोन्नति हेतु रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण पदोन्नति न होने की दशा में वर्तमान पद पर ही प्रथम एवं द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान संलग्नक-01 में अंकित विवरणानुसार अनुमन्यता के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा।

इस पदोन्नति नीति के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता 12 वर्ष की सेवा के बाद सामान्य प्रबन्धक वेतनमान ₹ 14300-18300 के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे तथा सामान्य प्रबन्धक के पद पर 10 वर्ष की सेवा के बाद सामान्य प्रबन्धक समयमान वेतनमान ₹ 16400-20000 चयन, मैरिट/रिक्ति के आधार पर प्रदान किया जा सकेगा।

अभियन्त्रण संवर्ग के अधिकारियों के लिए प्रोन्नति नीति का प्रारूप संलग्नक-01 निम्नवत् प्रस्तुत है -

अभियन्तण संवर्ग

<p>उपमुख्य अभियन्ता / सहायक अभियन्ता पद-द्वितीय (डिप्लोमा धारक) वेतनमान - ₹ 8500-10500</p>	
<p>10 वर्ष बाद अथवा अपर अभियन्ता सहायक अभियन्ता पद पर कुल 12 वर्ष की सेवा करने के उपरान्त</p>	
<p>सहायक अभियन्ता वेतनमान - ₹ 8000-13500 तथा भी भर्ती सहायक अभियन्ता प्रशिक्षु को उक्त वेतनमान का 70 प्रतिशत स्टार्टपन्ड तथा 02 वर्ष बाद निश्चित वेतनमान देय होगा</p>	<p>10 वर्ष बाद उप मुख्य अभियन्ता के पद पर पदोन्नति न होने की दशा में प्रथम समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 9650-14600 अनुमन्य होगा तथा 18 वर्ष की सहायक अभियन्ता के पद पर अविरल सेवा के उपरान्त पदोन्नति न होने की दशा में द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 10650-16175 अनुमन्य होगा।</p>
<p>आठ वर्ष बाद उप मुख्य अभियन्ता वेतनमान - ₹ 9650-14600 चयन/मेरिट/रिक्ति के आधार पर</p>	<p>10 वर्ष बाद मुख्य अभियन्ता पद पर पदोन्नति न होने की दशा में उप मुख्य अभियन्ता पद का प्रथम समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 10650-16175 एवं उप मुख्य अभियन्ता पद पर 18 वर्ष की अविरल सेवा के उपरान्त पदोन्नति न होने की दशा में द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 14300-18300 अनुमन्य होगा।</p>
<p>आठ वर्ष बाद मुख्य अभियन्ता ₹ 10650-16175 चयन/मेरिट/ रिक्ति के आधार पर</p>	<p>15 वर्ष बाद अगली पदोन्नति न होने की दशा में मुख्य अभियन्ता पद का समयमान वेतनमान ₹ 14300-18300 चयन/मेरिट के आधार पर।</p>
<p>12 वर्ष की सेवावधि के बाद सामान्य प्रबन्धक वेतनमान ₹ 14300-18300 के लिए चयन/मेरिट/रिक्ति के आधार पर</p>	<p>10 वर्ष बाद समयमान वेतनमान सामान्य प्रबन्धक के लिए अर्ह वेतनमान ₹ 16400-20000 चयन/मेरिट के आधार पर।</p>
<p>10 वर्ष बाद सामान्य प्रबन्धक वेतनमान ₹ 16400-20000 चयन/मेरिट के आधार पर</p>	

5

उत्तराखण्ड राज्य स्थित डोईवाला शुगर कम्पनी लि० एवं किच्छा शुगर कम्पनी लि०  
शर्करा तकनीकी संवर्ग

कम्पनियों की इकाइयों में शर्करा तकनीकी संवर्ग में प्रारम्भिक नियुक्ति लैब इंचार्ज अथवा मैनुफैक्चरिंग कैमिस्ट के पदों पर की गयी है और भविष्य में भी रिक्त पदों को भरने के लिए इन पदों को भरने की आवश्यकता होगी। तकनीकी संवर्ग में कुछ निर्माण रसायनज्ञ एवं प्रयोगशाला प्रभारी शुगर वेजबोर्ड की परिधि अथवा अन्य वेतन ढाँचे में थे उन्हें मुख्यालय वेतनमान में स्थापित किया गया था। ऐसे कार्मिक जो क्वालीफाईड अर्थात् ए०एन०एस०आई० योग्यताधारक थे उन्हें ₹ 8000-13500 का वेतनमान एवं अन्य नॉन क्वालीफाईड कार्मिकों को ₹ 6500-10500 का वेतनमान अनुमन्य किया गया।

प्रस्ताव किया गया है कि भविष्य में निर्माण रसायनज्ञ के रिक्त पदों को भरने के लिए केवल बी०एस०सी०, ए०एन०एस०आई० (एस०टी०) योग्यताधारक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षु के रूप में 02 वर्ष के लिए ₹ 8000-13500 वेतनमान का न्यूनतम मूल वेतनमान पर कुल परिलब्धियों के 70 प्रतिशत पर नियुक्त किया जाये तथा 02 वर्ष के उपरान्त निर्धारित वेतनमान देय होगा। इस संवर्ग में निम्न प्रकार के पद हैं -

(अ) प्रयोगशाला प्रभारी	वेतनमान ₹ 6500-10500
(ब) निर्माण रसायनज्ञ	वेतनमान ₹ 8000-13500
(स) उप मुख्य रसायनज्ञ	वेतनमान ₹ 9650-14600
(द) मुख्य रसायनज्ञ	वेतनमान ₹ 10650-16175

ऐसे प्रयोगशाला प्रभारी अथवा तकनीकी सहायक जिन्होंने ए०एन०एस०आई० का षाट्यकम पूर्ण कर लिया है उन्हें 04 वर्ष की सेवा के बाद निर्माण रसायनज्ञ के पद पर प्रोन्नति हेतु अर्ह माना जाये परन्तु ए०एन०एस०आई० नॉन क्वालीफाईड को 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरान्त प्रथम समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 8000-13500 तथा 18 वर्ष की संतोषजनक अविरल सेवा के बाद द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 9650-14600 दिया जाना प्राविधानित है। निर्माण रसायनज्ञ के रिक्त पदों को भरने के लिए सीधी भर्ती द्वारा ए०एन०एस०आई० क्वालीफाईड प्रशिक्षु वेतनमान ₹ 8000-13500 में 70 प्रतिशत स्टाईपेन्ड पर रखने की व्यवस्था अथवा 02 वर्ष के अनुभवधारक क्वालीफाईड निर्माण रसायनज्ञ सीधे वेतनमान ₹ 8000-13500 में रखा जाना प्राविधानित है। ऐसे निर्माण रसायनज्ञ जिन्होंने वेतनमान ₹ 8000-13500 में 08 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो उन्हें चयन/मेरिट/रिक्ति के आधार पर उप मुख्य रसायनज्ञ वेतनमान ₹ 9650-14600 में प्रोन्नति हेतु अर्ह माना जायेगा। इसी प्रकार ऐसे उप मुख्य रसायनज्ञ जिन्होंने 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो उन्हें मुख्य रसायनज्ञ वेतनमान ₹ 10650-16175 के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन/मेरिट/रिक्ति के आधार पर अर्ह माना जाये।

पदोन्नति हेतु रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण पदोन्नति न होने की दशा में वर्तमान पद पर ही प्रथम एवं द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान संलग्नक- 02 में अंकित विवरणानुसार अनुमन्यता के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा।

अभियन्त्रण संवर्ग की भौति शर्करा तकनीकी संवर्ग के अधिकारियों को भी मुख्य रसायनज्ञ पद पर 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरान्त चयन/मेरिट/रिक्ति के आधार पर सामान्य प्रबन्धक के पद के लिए अर्ह एवं सामान्य प्रबन्धक के पद वेतनमान ₹ 14300-18300 में 10 वर्ष की सेवा के उपरान्त सामान्य प्रबन्धक, समयमान वेतनमान ₹ 16400-20000 में चयन/मेरिट के आधार पर अर्ह माना जायेगा। शर्करा तकनीकी संवर्ग के अधिकारियों के लिए प्रोन्नति नीति का प्रारूप संलग्नक 02 पर प्रस्तुत है।

## शर्करा तकनीकी संवर्ग

प्रयोगशाला प्रभारी वेतनमान- ₹ 6500-10500 चयन/मेरिट तथा रिक्ति।	एन0एस0आई0 नॉन क्वालीफाईड 10 वर्ष प्रथम समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 8000-13500 अनुमन्य होगा तथा 18 वर्ष की अविरल सेवा के उपरान्त द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 9650-14600 अनुमन्य होगा।
केवल एन0एस0आई0 क्वालीफाईड 04 वर्ष बाद निर्माण रसायनज्ञ वेतनमान ₹ 8000-13500 सीधी भर्ती निर्माण रसायनज्ञ प्रशिक्षु 70 प्रतिशत स्टाईपन्ड वेतनमान ₹ 8000-13500 (दो वर्ष बाद नियमित वेतनमान) अथवा सीधी भर्ती दो वर्ष अनुभवधारक ए0एन0एस0आई0 क्वालीफाईड निर्माण, रसायनज्ञ।	10 वर्ष बाद उप मुख्य रसायनज्ञ पद पर पदोन्नति न होने की दशा में निर्माण रसायनज्ञ पद का प्रथम समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 9650-14600 एवं निर्माण रसायनज्ञ पद पर 18 वर्ष की अविरल सेवा के उपरान्त पदोन्नति न होने की दशा में द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 10650-16175 अनुमन्य होगा।
आठ वर्ष बाद उप मुख्य रसायनज्ञ वेतनमान- ₹ 9650-14600 चयन-मेरिट-रिक्ति के आधार पर	10 वर्ष बाद मुख्य रसायनज्ञ पद पर पदोन्नति न होने की दशा में उप मुख्य रसायनज्ञ पद का प्रथम समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 10650-16175 एवं उप मुख्य रसायनज्ञ पद पर 18 वर्ष की अविरल सेवा के उपरान्त पदोन्नति न होने की दशा में द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 14300-18300 अनुमन्य होगा।
आठ वर्ष बाद मुख्य रसायनज्ञ ₹ 10650-16175 चयन/मेरिट/ रिक्ति के आधार पर	15 वर्ष बाद अगली पदोन्नति न होने की दशा में मुख्य रसायनज्ञ पद का सामान्य वेतनमान ₹ 14300-18300 चयन/मेरिट के आधार पर।
12 वर्ष की सेवावधि के बाद सामान्य प्रबन्धक पद के लिए अर्ह वेतनमान ₹ 14300-18300 के लिए चयन/मेरिट/रिक्ति के आधार पर	10 वर्ष बाद समयमान वेतनमान सामान्य प्रबन्धक के लिए अर्ह वेतनमान ₹ 16400-20000 चयन/मेरिट के आधार पर।
10 वर्ष बाद सामान्य प्रबन्धक समयमान वेतनमान ₹ 16400-20000 चयन/मेरिट के आधार पर	

3

उत्तराखण्ड राज्य स्थित डोईवाला शुगर कम्पनी लि० एवं किच्छा शुगर कम्पनी लि०

सिविल अभियन्त्रण संवर्ग

सिविल अभियन्त्रण संवर्ग में इकाईयों में अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता तैनात हैं। इस संवर्ग में इकाईयों के अधिग्रहण के फलस्वरूप सुपरवाइजरी-ए, सुपरवाइजरी-बी, सुपरवाइजरी-सी आदि में कार्यरत अवर अभियन्ता कम्पनी की सेवा में लिये गये हैं उनमें से कुछ वेजबोर्ड के वेतनमान में ही कार्यरत हैं। कालान्तर में कतिपय डिप्लोमा होल्डर अवर अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नतियाँ कम्पनी के वेतनमान ₹ 6500-10500 में प्रदान की गयी हैं। सीधी भर्ती से लिये गये डिग्री होल्डर सहायक अभियन्ताओं की नियुक्तियाँ वेतनमान ₹ 8000-13500 में की गयी हैं।

सिविल अभियन्त्रण संवर्ग में निम्न प्रकार के पदधारक कार्यरत हैं -

(अ)	सहायक अभियन्ता (सिविल)	वेतनमान ₹ 6500-10500 (डिप्लोमा)
(ब)	सहायक अभियन्ता (सिविल)	वेतनमान ₹ 8000-13500 (डिग्री)

सिविल अभियन्त्रण संवर्ग का गठन चीनी मिलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस संवर्ग में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध न होने के कारण 10 वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रथम समयमान/प्रोन्नति वेतनमान तथा 18 वर्ष की सेवा के उपरान्त द्वितीय समयमान/ प्रोन्नति वेतनमान अनुमन्यता के आधार पर प्रारूप-03 में अंकित विवरणानुसार स्वीकृत किया जा सकेगा।

सिविल अभियन्त्रण संवर्ग के अधिकारियों के लिए प्रोन्नति नीति का प्रारूप-03 निम्नवत् प्रस्तुत है -

प्रारूप-03

सिविल अभियन्त्रण संवर्ग

सहायक अभियन्ता (सिविल) कम्पनी वेतनमान- ₹ 6500-10500	
तीन वर्ष बाद सहायक अभियन्ता (सिविल) वेतनमान ₹ 8000-13500 कम्पनी में अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता की 12 वर्ष की सेवा करने के उपरान्त तथा	
सीधी भर्ती सहायक अभियन्ता (डिग्री धारक)/ (अनुभव धारक) वेतनमान ₹ 8000-13500	10 वर्ष बाद की अविरल संतोषजनक सेवा के उपरान्त प्रथम समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 9650-14600 अनुमन्य होगा तथा 18 वर्ष की सहायक अभियन्ता के पद पर अविरल संतोषजनक सेवा के उपरान्त द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 10650-16175 अनुमन्य होगा।

उत्तराखण्ड राज्य स्थित डोईवाला शुगर कम्पनी लि० एवं किच्छा शुगर कम्पनी लि०

लेखा संवर्ग

लेखा संवर्ग में इकाई स्तर पर लेखाकार/सहायक लेखाकार/लेखा लिपिक आदि से प्रोन्नत होकर कार्मिक सुपरवाईजरी-बी ग्रेड तक पहुँचते हैं और इसके उपरान्त कुछ योग्य कार्मिकों को वरिष्ठ लेखाकार के पद पर पूर्व में प्रोन्नत किया गया है। वर्तमान में इकाईयों में जो वरिष्ठ लेखाकार कार्यरत हैं ये अधिकांशतः मुख्यालय के वेतनमान ₹ 6500-10500 में स्थापित किये गये हैं।

प्रारम्भ में कम्पनी इकाईयों में लेखा संवर्ग में प्रथम नियुक्ति सामान्यतया आन्तरिक सम्प्रेक्षक अथवा मुख्य लेखाकार के पदों पर की गयी है। कालान्तर में कुछ आन्तरिक सम्प्रेक्षकों को पदोन्नत कर मुख्य लेखाकार अथवा उप मुख्य लेखाकार बनाया गया है।

अब वरिष्ठ लेखाकार के पद से ऊपर के पदों को पदोन्नति नीति के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था की गयी है। लेखा संवर्ग में निम्न प्रकार के पदधारक कार्यरत हैं -

- |     |                                      |                       |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|
| (अ) | वरिष्ठ लेखाकार                       | वेतनमान ₹ 6500-10500  |
| (ब) | उप मुख्य लेखाकार/आन्तरिक सम्प्रेक्षक | वेतनमान ₹ 8000-13500  |
| (स) | मुख्य लेखाकार                        | वेतनमान ₹ 10000-15200 |
| (द) | सामान्य प्रबन्धक                     | वेतनमान ₹ 14300-18300 |

ऐसे वरिष्ठ लेखाकार जिन्होंने सी०ए० (इन्टर) अथवा आई०सी०डब्लू०ए० (इन्टर) की योग्यता प्राप्त कर ली हो उन्हें 10 वर्ष की अविरल सेवा के उपरान्त चयन के माध्यम से रिक्ति/मैरिट के आधार पर उप मुख्य लेखाकार अथवा आन्तरिक सम्प्रेक्षक के पद वेतनमान ₹ 8000-13500 में पदोन्नति के लिए अर्ह माना जायेगा। पदोन्नतियाँ 50 प्रतिशत आन्तरिक सम्प्रेक्षक के पद पर तथा 50 प्रतिशत उप मुख्य लेखाकार के पदों पर की जायेंगी। यह भी प्रस्तावित किया गया है कि उप मुख्य लेखाकार/आन्तरिक सम्प्रेक्षक के पदों पर वेतनमान ₹ 8000-13500 सी०ए०/आई०सी०डब्लू०ए० शैक्षिक योग्यता तथा 03 वर्षों का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों में से भरा जा सकेगा। उप मुख्य लेखाकार/आन्तरिक सम्प्रेक्षक वेतनमान ₹ 8000-13500 पर 08 वर्ष की सेवा के बाद मुख्य लेखाकार वेतनमान ₹ 10000-15200 पद पर पदोन्नति चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर किया जायेगी।

पदोन्नति हेतु रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण पदोन्नति न होने की दशा में वर्तमान पद पर ही प्रथम एवं द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान संलग्नक- 04 में अंकित विवरणानुसार अनुमन्यता के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा।

इस पदोन्नति नीति के अन्तर्गत मुख्य लेखाकार को 08 वर्ष की सेवा के उपरान्त सामान्य प्रबन्धक वेतनमान ₹ 14300-18300 के पद पर प्रोन्नति हेतु अर्ह माना जायेगा। पदोन्नति चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर की जायेगी। ₹ 14300-18300 के वेतनमान में 10 वर्ष की सेवा के उपरान्त सामान्य प्रबन्धक चयन वेतनमान ₹ 16400-20000 चयन/मैरिट के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा।

लेखा संवर्ग के अधिकारियों के लिए पदोन्नति नीति का प्रारूप संलग्नक -04 के रूप में प्रस्तुत है।

3



लेखा संवर्ग

वरिष्ठ लेखाकार वेतनमान- ₹ 6500-10500	योग्यता : सी0ए0 (इन्टर), आई0सी0डब्लू0ए0 (इन्टर) अर्हता वाले 50 प्रतिशत आन्तरिक सम्प्रेक्षक तथा 50 प्रतिशत उप मुख्य लेखाकार पद पर प्रोन्नति हेतु अर्ह होंगे।
10 वर्ष बाद उप मुख्य लेखाकार/आन्तरिक सम्प्रेक्षक वेतनमान ₹ 8000-13500 चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर। तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती उप मुख्य लेखाकार/आन्तरिक सम्प्रेक्षक वेतनमान ₹ 8000-13500 योग्यता सी0ए0 (इन्टर), आई0सी0डब्लू0ए0 (इन्टर) तथा 03 वर्षों का अनुभव	10 वर्ष बाद पदोन्नति न होने की दशा में प्रथम समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 9650-14600 तथा 18 वर्ष की सेवा के उपरान्त द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 10000-15200 अनुमन्य होगा।
आठ वर्ष बाद मुख्य लेखाकार वेतनमान ₹ 10000-15200 पर पदोन्नति चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर	10 वर्ष बाद पदोन्नति न होने की दशा में प्रथम समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 10650-16175 तथा 18 वर्ष की सेवा के उपरान्त द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 14300-18300 अनुमन्य होगा।
आठ वर्ष बाद सामान्य प्रबन्धक वेतनमान ₹ 14300-18300 पद के लिए चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर अर्ह	
10 वर्ष बाद सामान्य प्रबन्धक चयनमान वेतनमान ₹ 16400-20000 चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर अनुमन्य होगा।	

63

उत्तराखण्ड राज्य स्थित डोईवाला शुगर कम्पनी लि० एवं किच्छा शुगर कम्पनी लि०

गन्ना विकास एवं विपणन संवर्ग

वर्तमान में गन्ना विकास संवर्ग में कम्पनी वेतनमान में गन्ना प्रबन्धक एवं मुख्य गन्ना प्रबन्धक के पद सृजित है परन्तु पूर्व में कतिपय सहायक गन्ना प्रबन्धकों को शुगर वेजबोर्ड के सुपरवाइजरी-ए में नियुक्त किया गया था। इस संवर्ग में गन्ना प्रबन्धक के पदों पर पदोन्नतियाँ अथवा चयन तत्समय की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए सहायक गन्ना प्रबन्धकों तथा अधीक्षकों से की गयी है। गन्ना अधीक्षक के पदधारक कम्पनी की सेवा में अधिग्रहण के फलस्वरूप आये है एवं वेजबोर्ड के सुपरवाइजरी-बी ग्रेड के वेतनमानों में कार्यरत है। किन्हीं अधिग्रहित इकाईयों में उप गन्ना प्रबन्धक अथवा गन्ना विकास अधिकारी आदि के पद धारक भी वेजबोर्ड-बी/सुपरवाइजरी-ए ग्रेड में कार्यरत है।

प्रस्तावित किया गया है कि पात्र एवं अनुभवधारक सहायक गन्ना प्रबन्धक/गन्ना अधीक्षक, उप गन्ना प्रबन्धक/गन्ना विकास अधिकारी आदि को पदोन्नति का अवसर प्रदान करते हुए गन्ना प्रबन्धकों के रिक्त पदों को भरा जाये। इस सम्बन्ध में वर्तमान में निम्न वेतनमान में पद उपलब्ध है -

(अ)	गन्ना प्रबन्धक/गन्ना विकास अधिकारी	वेतनमान ₹ 6500-10500
(ब)	मुख्य गन्ना प्रबन्धक	वेतनमान ₹ 10000-15200
(स)	उप सामान्य प्रबन्धक (गन्ना)	वेतनमान ₹ 10650-16175

गन्ना प्रबन्धक वेतनमान ₹ 6500-10500 में 08 वर्ष की सेवा के उपरान्त मुख्य गन्ना प्रबन्धक वेतनमान ₹ 10000-15200 के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह माना जायेगा। पदोन्नति चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर की जायेगी। मुख्य गन्ना प्रबन्धक से उप सामान्य प्रबन्धक (गन्ना) वेतनमान ₹ 10650-16175 में पदोन्नति चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर की जायेगी।

पदोन्नति हेतु रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण पदोन्नति न होने की दशा में वर्तमान पद पर ही प्रथम एवं द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान संलग्नक- 05 में अंकित विवरणानुसार अनुमन्यता के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा।

इस पदोन्नति नीति के अन्तर्गत उप सामान्य प्रबन्धक वेतनमान ₹ 10650-16175 के पद पर 12 वर्ष की सेवा अवधि के उपरान्त सामान्य प्रबन्धक वेतनमान ₹ 14300-18300 में पदोन्नति चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर तथा इसके उपरान्त 10 वर्ष के बाद सामान्य प्रबन्धक का चयन वेतनमान ₹ 16400-20000 चयन/मैरिट के आधार पर प्रदान किया जा सकेगा।

गन्ना विकास एवं विपणन संवर्ग के अधिकारियों के लिए प्रोन्नति नीति का प्रारूप संलग्नक-05 पर प्रस्तुत है।

6.4

## गन्ना विकास एवं विपणन संवर्ग

गन्ना प्रबन्धक/गन्ना विकास अधिकारी वेतनमान- ₹ 8500-10500 चयन/मैरिट/रिक्ति। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बी०एस०सी० (कृषि)	10 वर्ष बाद चयन वेतनमान ₹ 8000-13500 अनुमन्य होगा तथा 18 वर्ष की सेवा के बाद द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 9650-14600 अनुमन्य होगा।
05 वर्ष बाद	
गन्ना प्रबन्धक/गन्ना विकास अधिकारी वेतनमान ₹ 8000-13500 अथवा सीधी भर्ती गन्ना प्रबन्धक/गन्ना विकास अधिकारी वेतनमान ₹ 8000-13500 न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एम०एस०सी० (कृषि)	10 वर्ष की सेवा के उपरान्त पदोन्नति न होने की दशा में प्रथम समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 9650-14600 तथा 18 वर्ष की सेवा के बाद द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 10000-15200 चयन/मैरिट के आधार पर अनुमन्य होगा।
आठ वर्ष बाद	
मुख्य गन्ना प्रबन्धक वेतनमान ₹ 10000-15200 में चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर	10 वर्ष की सेवा के बाद पदोन्नति न होने की दशा में प्रथम समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 10650-16175 तथा 18 वर्ष की सेवा के बाद द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 14300-18300 चयन/मैरिट के आधार पर अनुमन्य होगा।
आठ वर्ष बाद	
उप सामान्य प्रबन्धक (गन्ना) वेतनमान ₹ 10650-16175 चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर	15 वर्ष की सेवा के बाद पदोन्नति न होने की दशा में प्रथम समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 14300-18300 तथा 23 वर्ष की सेवा के बाद द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 16400-20000 चयन/मैरिट के आधार पर अनुमन्य होगा।
12 वर्ष बाद	
सामान्य प्रबन्धक वेतनमान ₹ 14300-18300 चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर।	
10 वर्ष बाद	
सामान्य प्रबन्धक का चयन वेतनमान ₹ 16400-20000 चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर।	

उत्तराखण्ड राज्य स्थित डोईवाला शुगर कम्पनी लि० एवं किच्छा शुगर कम्पनी लि०

### सामान्य संवर्ग

मिलों के अधिग्रहण के फलस्वरूप सामान्य संवर्ग में विभिन्न पदधारक कार्यरत हैं। अतः प्रस्तावित है कि प्रबन्धक पद पर वेतनमान ₹ 10000-15200 के लिए वे ही अधिकारी अर्ह माने जायेंगे जो विभिन्न प्रकार के सामान्य प्रबन्धक के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के योग्य हैं। प्रबन्धक पद पर 12 वर्ष की सेवा के उपरान्त उप सामान्य प्रबन्धक वेतनमान ₹ 10650-16175 के पद पर पदोन्नति चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर की जानी प्राविधानित है तथा इसके उपरान्त 12 वर्ष की सेवा के उपरान्त सामान्य प्रबन्धक वेतनमान ₹ 14300-18300 के पद पर पदोन्नति चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर प्रदान की जायेगी।

सामान्य संवर्ग में अधिकारियों के लिए पदोन्नति हेतु रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण पदोन्नति न होने की दशा में वर्तमान पद पर ही प्रथम एवं द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान प्रारूप-06 में अंकित विवरणानुसार अनुमन्यता के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा। सामान्य संवर्ग के अधिकारियों के लिए पदोन्नति नीति का प्रारूप-06 निम्नवत् है -

प्रारूप-06

### सामान्य संवर्ग

प्रशासनिक अधिकारी तथा कम्पनी के वेतनमान ₹ 6500-10500 के अन्य पदधारक	
08 वर्ष बाद	
सहायक प्रबन्धक वेतनमान ₹ 8000-13500 (वेतनमान ₹ 6500-10500 के सामान्य संवर्ग के अधिकारियों की कुल संख्या का 15 प्रतिशत पदों पर) चयन/मैरिट/रिक्ति।	12 वर्ष की अविरल सेवा के उपरान्त पदोन्नति न होने की दशा में प्रथम समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 9650-14600 तथा 18 वर्ष की सेवा के उपरान्त द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 10000-15200 अनुमन्य होगा।
10 वर्ष बाद	
प्रबन्धक वेतनमान ₹ 10000-15200 (वेतनमान ₹ 6500-10500/₹ 8000-13500/₹ 9650-14600 वेतनमान के कुल कार्यरत अधिकारियों की संख्या का अधिकतम 10 प्रतिशत पदों पर) चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर।	15 वर्ष की अविरल सेवा के उपरान्त पदोन्नति न होने की दशा में प्रथम समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 10650-16175
12 वर्ष बाद	
उप सामान्य प्रबन्धक वेतनमान ₹ 10650-16175 चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर	15 वर्ष की अविरल सेवा के उपरान्त पदोन्नति न होने की दशा में समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 14300-18300 अनुमन्य होगा।
12 वर्ष की सेवावधि के बाद	
सामान्य प्रबन्धक पद के लिए अर्ह वेतनमान ₹ 14300-18300 के लिए चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर	

- 1- प्रशासनिक अधिकारी/कारखाना प्रबन्धक/वाणिज्यिक अधिकारी/सम्पर्क अधिकारी/विधि अधिकारी आदि के पद वर्तमान पद धारकों की सेवा पूर्ण होने के उपरान्त स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- 2- कारखाना प्रबन्धक/प्रशासनिक अधिकारी/वाणिज्यिक अधिकारी/सम्पर्क अधिकारी एवं विधि अधिकारी जो वेतनमान ₹ 6500-10500 में कार्यरत है को सहायक प्रबन्धक के पद पर पदोन्नति की दशा में निम्न प्रकार के सामान्य प्रबन्धन के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने योग्य होना चाहिए। लाईबल, इण्डस्ट्रियल रिलेशन, विधिक कार्य, सुरक्षा सम्बन्धी कार्य, टाईम क्लर्क, वीनी गोदाम/निकासी का सुपरवीजन आदि।

6.4

उत्तराखण्ड राज्य स्थित डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड एवं किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड

श्रम कल्याण अधिकारी संवर्ग

श्रम कल्याण अधिकारियों के 03 वेतनमान मिल में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के अनुरूप निर्धारित किये गये हैं। श्रम कल्याण अधिकारियों के लिए वर्तमान में निम्न 03 वेतनमान स्वीकृत है -

- (अ)- श्रम कल्याण अधिकारी ग्रेड- 03 (वेतनमान ₹ 6500-10500)।
- (ब)- श्रम कल्याण अधिकारी ग्रेड- 02 (वेतनमान ₹ 8000-13500)।
- (स)- श्रम कल्याण अधिकारी ग्रेड- 01 (वेतनमान ₹ 10000-15200)।

चूंकि यह वेतनमान विशेष रूप से कारखाने में नियुक्त कर्मचारों की संख्या के आधार पर नियत है। अतः अन्य संवर्गों की भाँति इन्हें भी 10 वर्ष एवं 15 वर्ष की संवोपजनक सेवा के उपरान्त क्रमशः एवं क्रमशः उच्च वेतनमान स्वीकृत किया जा सकेगा और ₹ 10000-15200 के वेतनमान में 15 वर्ष की संवोपजनक सेवा के उपरान्त मैरिट के आधार पर उपयुक्त श्रम कल्याण अधिकारी को ₹ 10650-16175 का चयन वेतनमान प्रदान किया जा सकेगा।

प्रदेश की कुल दो शुगर कम्पनियों को दृष्टिगत रखते हुए श्रम कल्याण अधिकारी के ग्रेड-2 व ग्रेड-1 के पद सृजित नहीं किये गये हैं। श्रम कल्याण अधिकारी संवर्ग के अधिकारियों के लिए पदोन्नति नीति का प्रस्ताव प्रारूप 07 पर निम्नवत् प्रस्तुत है -

प्रारूप-07

श्रम कल्याण अधिकारी संवर्ग

श्रम कल्याण अधिकारी ग्रेड-03 वेतनमान ₹ 6500-10500	
10 वर्ष बाद	
श्रम कल्याण अधिकारी ग्रेड-02 वेतनमान ₹ 8000-13500	
10 वर्ष बाद	
श्रम कल्याण अधिकारी ग्रेड-01 वेतनमान ₹ 10000-15200 चयन/मैरिट के आधार पर।	वेतनमान ₹ 10000-15200 में 15 वर्ष की सेवा के उपरान्त ₹ 10650-16175 वेतनमान चयन/मैरिट के आधार पर अनुमन्य होगा।

3. 4

उत्तराखण्ड राज्य स्थित डोईवाला शुगर कम्पनी लि० एवं किच्छा शुगर कम्पनी लि०

कम्पनी सचिव संवर्ग

कम्पनी सचिव यद्यपि संवर्ग में बहुत सूक्ष्म है परन्तु इस संवर्ग को भी उच्च वेतनमान प्रदान किये जाने की आवश्यकता इसलिए प्रतीत होती है कि कम्पनी सचिव पद के लिए केवल ए०सी०एस० योग्यताधारक अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं तथा अन्य संवर्गों की भाँति इन्हें भी पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए।

प्रस्तावित किया गया है कि सहायक कम्पनियों में नियुक्त कम्पनी सचिव वेतनमान ₹ 10000-15200 को 12 वर्ष की सेवा के बाद समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 10650-16175 घयन/मैरिट के आधार पर एवं वेतनमान ₹ 10650-16175 में 15 वर्ष की सेवा के बाद द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 14300-18300 अनुमन्य कराये जाने पर विचार कर लिया जाये। कम्पनी सचिव संवर्ग के अधिकारियों के लिए प्रोन्नति नीति का प्रारूप 08 के रूप में निम्नवत् है -

प्रारूप-08

कम्पनी सचिव संवर्ग

कम्पनी सचिव वेतनमान ₹ 10000-15200 न्यूनतम योग्यता ए०सी०एस०	वेतनमान ₹ 10000-15200 में 12 वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रथम समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹ 10650-16175 तथा 27 वर्ष की सेवा के उपरान्त द्वितीय समयमान/प्रोन्नति वेतनमान ₹14300-18300 अनुमन्य होगा।
--	--

6.4

उत्तराखण्ड राज्य स्थित डोईवाला शुगर कम्पनी लि० एवं किच्छा शुगर कम्पनी लि०  
चीनी उद्योग में वेजबोर्ड के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी

कम्पनी के अधीनस्थ विभिन्न इकाईयों में चीनी उद्योग में लागू वेजबोर्ड के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी विभिन्न संवर्गों यथा अभियन्त्रण, शर्करा तकनीकी, सिविल अभियन्त्रण, लेखा, गन्ना विकास एवं सामान्य प्रबन्धन में कार्यरत हैं जिन्हें वेजबोर्ड के अन्तर्गत संस्तुत वेतनमान प्रदान किये जाते हैं। वेजबोर्ड की परिधि में आने वाले कार्मिकों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि० के निदेशक मण्डल द्वारा वर्ष 1996 में पदोन्नति नीति निर्धारित की गयी है जो उत्तराखण्ड राज्य में भी वर्तमान में यथावत् लागू है। अब उत्तराखण्ड राज्य में स्थित शुगर कम्पनियों के लिए पदोन्नति नीति निम्नवत् निर्धारित की जा रही है -

1- अभियन्त्रण संवर्ग - इस संवर्ग में कार्मिकों को मुख्यतः निम्न 03 उप श्रेणियों में बाँटा गया है -

(अ) डिप्लोमाधारक -

मुख्यतः मैकेनिकल अथवा इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारक सुपरवाइजरी-सी वेतनमान में वर्कशॉप इंजीनियर, फोरमैन मैकेनिकल/इलैक्ट्रिकल, सुपरवाइजर मैकेनिकल/इलैक्ट्रिकल रखे जाते हैं। प्रस्तावित किया गया है कि इन्हें 03-03 वर्ष की सेवा के उपरान्त सुपरवाइजरी-सी से सुपरवाइजरी-बी, सुपरवाइजरी-बी से सुपरवाइजरी-ए वेतनमान प्रदान किये जायें एवं सुपरवाइजरी-ए में 03 वर्ष की सेवा के उपरान्त इन्हें संघ वेतनमान ₹ 6500-10500 में सहायक अभियन्ता पद के लिए अर्ह माना जायेगा जिसके लिए पदोन्नति का आधार चयन/रिक्ति/मैरिट होगा।

(ब) आई०टी०आई० योग्यताधारक -

आई०टी०आई० योग्यताधारक सामान्यतः कुशल ऑपरेटिव पदों पर रखे जाते हैं और लगभग 15 वर्ष की सेवावधि के पश्चात् सुपरवाइजरी-सी वेतनमान के स्तर तक पहुँच पाते हैं। प्रस्तावित किया गया है कि इन्हें सुपरवाइजरी-सी पर 05 वर्ष की सेवा के बाद सुपरवाइजरी-बी एवं पुनः सुपरवाइजरी-बी में 05 वर्ष की सेवा के उपरान्त सुपरवाइजरी-ए तक पदोन्नति प्रदान की जायेगी और इसके पश्चात् सुपरवाइजरी-ए में 03 वर्ष की सेवावधि के बाद रिक्ति/मैरिट/चयन के आधार पर संघ वेतनमान ₹ 6500-10500 फोरमैन अथवा वर्कशॉप इंचार्ज आदि पद के लिए अर्ह माने जायेंगे।

(स) नॉन आई०टी०आई० -

अभियन्त्रण संवर्ग में ऐसे कार्मिक भी कार्यरत हैं जो अपनी तकनीकी कुशलता एवं योग्यता के कारण अपनी सेवाकाल के दौरान सुपरवाइजरी-सी वेतनमान तक पहुँच चुके हैं। प्रस्तावित किया गया है कि कुशल एवं योग्य कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के लिए 07 वर्ष की अवधि के बाद सुपरवाइजरी-सी से सुपरवाइजरी-बी एवं पुनः सुपरवाइजरी-बी में 07 वर्ष की सेवा के बाद सुपरवाइजरी-ए तक के ग्रेड प्रदान कर दिये जायें जिसका आधार मैरिट एवं इकाई स्तर पर रिक्ति पदों की उपलब्धता होगा।

2- शर्करा तकनीकी संवर्ग - इस संवर्ग में कार्यरत कार्मिक क्वालीफाईड अथवा नॉन क्वालीफाईड श्रेणी में हैं -

(अ) क्वालीफाईड -

सामान्यतः बी०एस०सी० भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित योग्यताधारक कार्मिक जो सुपरवाइजरी-सी वेतनमान में सेवा में हैं उन्हें समय-समय पर पदोन्नतियाँ प्रदान करते हुए संघ वेतनमान ₹ 6500-10500 में प्रयोगशाला प्रभारी के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए लिया जाता है। इसमें व्यवस्था है कि सुपरवाइजरी-सी में 08 वर्ष की सेवा के बाद उसे पदनाम यथा लैब कैमिस्ट/क्वायलर कैमिस्ट पद पर सुपरवाइजरी-बी वेतनमान और पुनः इस वेतनमान में 08 वर्ष की सेवा के बाद सुपरवाइजरी-ए वेतनमान प्रदान किया जाये एवं सुपरवाइजरी-ए पर न्यूनतम 05 वर्ष की



संघ के परचात् रिक्ति/मैरिट/चयन के आधार पर प्रयोगशाला प्रभारी के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह माना जाये।

**(ब) अनक्वालीफाईड -**

कतिपय इकाईयों में सुपरवाइजरी-सी ग्रेड में लैब कैमिस्ट/ब्यायलर कैमिस्ट (अनक्वालीफाईड) तथा पैन मैन आदि पदधारक कार्यरत हैं। ऐसे कार्मिकों को जिन्होंने अपने कार्यकाल में उच्च स्तरीय कुशलता/योग्यता प्राप्त कर ली है उन्हें इस पदोन्नति नीति की परिधि में लाते हुए सुपरवाइजरी-सी पर 10 वर्ष की सेवा के बाद सुपरवाइजरी-बी एवं सुपरवाइजरी-बी में 10 वर्ष की सेवा के बाद पुनः सुपरवाइजरी-ए वेतनमान तक पदोन्नति प्रदान की जाये जिसका आधार रिक्ति/मैरिट होगा तथा इनके पदनाम वेजबोर्ड में संस्तुत पदनाम के अनुसार हैड पैन मैन/पैन इंचार्ज आदि होगा।

- 3- **सिविल अभियन्त्रण संवर्ग -** सिविल अभियन्त्रण संवर्ग में भी अभियन्त्रण संवर्ग की भाँति डिप्लोमाधारक कार्मिकों को लिए पदोन्नति प्रदान की जा सकेगी। संघ वेतनमान ₹ 6500-10500 पर सहायक अभियन्ता पद के लिए अर्ह कार्मिक चयन/मैरिट/रिक्ति के आधार पर पदोन्नत किये जा सकेंगे।
- 4- **लेखा संवर्ग -** चीनी मिलों में लेखा संवर्ग के कार्मिक सामान्यतः सहायक लेखाकार/लेखा लिपिक ग्रेड-01/ कौन्सिलर असिस्टेन्ट का सुपरवाइजरी-सी वेतनमान निर्धारित है। प्रस्तावित किया गया है कि जो कार्मिक अपनी योग्यता के आधार पर सहायक लेखाकार/लेखा लिपिक ग्रेड-01 तक पहुँच गये हैं अथवा कौन्सिलर असिस्टेन्ट के पद पर कार्यरत हैं उन्हें 08 वर्ष की सेवा के उपरान्त सुपरवाइजरी-बी वेतनमान सहायक लेखाकार/कौन्सिलर असिस्टेन्ट चयन वेतनमान प्रदान किया जायेगा। प्रस्ताव है कि सहायक लेखाकार चयन वेतनमान एवं कौन्सिलर असिस्टेन्ट के सुपरवाइजरी-बी ग्रेड में 07 वर्ष की सेवावधि के उपरान्त सुपरवाइजरी-ए लेखाकार/कौन्सिलर के लिए अर्ह माने जायेंगे। इसके पश्चात् सुपरवाइजरी-ए ग्रेड में 08 वर्ष की सेवा के उपरान्त इन्हें वरिष्ठ लेखाकार वेतनमान ₹ 6500-10500 के लिए अर्ह माना जायेगा। इसके लिए पदोन्नति का आधार चयन/मैरिट/रिक्ति होगा। यह भी प्रस्तावित है कि ऐसे कार्मिक जिन्होंने सुपरवाइजरी-बी वेतनमान में नियमित 15 वर्ष की सेवावधि पूर्ण कर ली हो उन्हें वरिष्ठ लेखाकार पद के लिए अर्ह माना जाये। पदोन्नति का आधार चयन/मैरिट/रिक्ति होगा।
- 5- **गन्ना विकास -** इकाईयों में गन्ना विकास एवं विपणन कार्य के लिए गन्ना निरीक्षक, गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना लेखाकार, गन्ना हैड क्लर्क आदि कार्मिक निम्न स्तरों से योग्यता के आधार पर सुपरवाइजरी-सी ग्रेड तक 12 वर्ष से 15 वर्ष तक की सेवावधि के उपरान्त पहुँचते हैं। प्रस्तावित किया गया है कि योग्य कार्मिकों को बिना पदनाम का परिवर्तन किये सुपरवाइजरी-सी ग्रेड पर 08 वर्ष की सेवा के उपरान्त सुपरवाइजरी-बी वेतनमान में पदोन्नति के लिए अर्ह माना जाये। इकाईयों के अधिग्रहण के फलस्वरूप समायोजित किये गये गन्ना अधीक्षक, वरिष्ठ सहायक-गन्ना प्रबन्धक, उप गन्ना प्रबन्धक आदि पदधारक सुपरवाइजरी-बी ग्रेड में कार्यरत हैं। प्रस्तावित किया गया है कि ऐसे पद धारकों को सुपरवाइजरी-बी में 15 वर्ष की सेवावधि के उपरान्त गन्ना प्रबन्धक/गन्ना विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह माना जाये जिनका वेतनमान ₹ 6500-10500 होगा। पदोन्नति का आधार चयन/मैरिट/रिक्ति होगा।

इस पदोन्नति नीति के अन्तर्गत गन्ना निरीक्षक/गन्ना विकास निरीक्षक/गन्ना लेखाकार/गन्ना हैडक्लर्क जिन्हें सुपरवाइजरी-बी ग्रेड में बिना पदनाम परिवर्तित किये हुए उच्चकृत वेतनमान दिया गया है उन्हें 07 वर्ष की सेवावधि के पश्चात् सुपरवाइजरी-ए वेतनमान पर सहायक गन्ना प्रबन्धक/सहायक गन्ना विकास अधिकारी पदों पर योग्यता एवं रिक्ति के आधार पर पदोन्नति प्रदान की जा सकेगी।

63

सुपरवाइजरी-ए वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को सहायक गन्ना प्रबन्धक पदनाम प्रदान करते हुए नियुक्ति किया गया था जो समय-समय पर गन्ना प्रबन्धक/मुख्य गन्ना प्रबन्धक पदों पर रिक्तियों होने के कारण इन उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। प्रस्तावित किया गया है कि ऐसे सहायक गन्ना प्रबन्धक जिनके द्वारा 08 वर्ष की सेवावधि पूर्ण कर ली है उन्हें भी गन्ना प्रबन्धक/गन्ना विकास अधिकारी पद के लिए अर्ह माना जाये। पदोन्नति का आधार चयन/मैरिट/रिक्ति होगा।

- 6- सामान्य संवर्ग - इकाईयों के अधिग्रहण के फलस्वरूप चीनी मिलों में सामान्य संवर्ग में सामान्य प्रबन्धन में कार्य हेतु विभिन्न प्रकार के पदधारक जैसे - टाईम ऑफिस सुप्रीटेन्डेन्ट, चीनी विक्रय प्रभारी, चीनी गोदाम इंचार्ज, हैड स्टोर कीपर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक विधि अधिकारी, सम्पर्क अधिकारी आदि अनेकों पद धारक कार्यरत है। प्रस्तावित है कि इस पदोन्नति नीति के अन्तर्गत सुपरवाइजरी-सी ग्रेड में 08 वर्ष की सेवावधि के उपरान्त सुपरवाइजरी-बी ग्रेड एवं तत्पश्चात् सुपरवाइजरी-बी ग्रेड में 07 वर्ष की सेवा के बाद सुपरवाइजरी-ए ग्रेड तक पदोन्नति प्रदान की जा सकेगी तथा सामान्य प्रबन्धन विभिन्न कार्यों में दक्ष कार्मिकों को सुपरवाइजरी-ए ग्रेड में 08 वर्ष की सेवावधि के बाद प्रशासनिक अधिकारी अथवा अन्य समकक्ष पदों पर संघ वेतनमान ₹ 6500-10500 के लिए अर्ह माना जायेगा। पदोन्नति का आधार चयन/मैरिट/रिक्ति होगा।

उपर्युक्त प्रक्रिया द्वारा सभी संवर्गों में पदोन्नति इकाईयों के सामान्य प्रबन्धकों की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासक उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि० (उत्तराखण्ड शुगरसी) की अध्यक्षता में गठित चयन समिति जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधिशासी निदेशक एवं सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष सदस्य के रूप में हों द्वारा समय-समय पर की जा सकेगी। इकाई स्तर पर सुपरवाइजरी-सी से सुपरवाइजरी-बी में पदोन्नति प्रदान किये जाने के लिए सम्बन्धित चीनी मिल के अधिशासी निदेशक अधिकृत होंगे।

वेजबोर्ड के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए पदोन्नति नीति का प्रारूप संवर्गवार संलग्न है।

6  
(सुरेन्द्र सिंह रावत)  
प्रशासक

वेजबोर्ड के अन्तर्गत अभियन्त्रण संवर्ग

डिप्लोमा धारक	आई0टी0आई0 योग्यताधारक	नॉन आई0टी0आई0
सुपरवाइजरी - सी वेतनमान वर्कशॉप इंजीनियर/फोरमैन मैके0/इलै0 सुपरवाइजर मैके0/इलै0	सुपरवाइजरी - सी वेतनमान (ऑपरेटिव) फोरमैन मैके0/इलै0, वर्कशॉप सुपरवाइजर, इलै0 सुपरवाइजर, आदि।	सुपरवाइजरी - सी वेतनमान
03 वर्ष बाद	05 वर्ष बाद	07 वर्ष बाद
सुपरवाइजरी - बी वेतनमान	सुपरवाइजरी - बी वेतनमान	सुपरवाइजरी - बी वेतनमान
03 वर्ष बाद	05 वर्ष बाद	07 वर्ष बाद
सुपरवाइजरी - ए वेतनमान	सुपरवाइजरी - ए वेतनमान	सुपरवाइजरी - ए वेतनमान
03 वर्ष बाद	03 वर्ष बाद	
सहायक अभियन्ता पद के लिए अर्ह वेतनमान ₹ 6500-10500 चयन/मेरिट/रिक्ति के आधार पर	फोरमैन/वर्कशॉप इंचार्ज निगम वेतनमान ₹ 6500-10500 चयन/मेरिट/रिक्ति के आधार पर	

63

वेजबोर्ड के अन्तर्गत शर्करा तकनीकी संवर्ग

सुपरवाइजरी -सी वेतनमान लैब कैमिस्ट / ब्यायलर कैमिस्ट (क्वालीफाईड)	सुपरवाइजरी -सी वेतनमान लैब कैमिस्ट / ब्यायलर कैमिस्ट (अनक्वालीफाईड) पैन मेन आदि पद धारक।
08 वर्ष बाद	10 वर्ष बाद
सुपरवाइजरी -बी वेतनमान लैब कैमिस्ट / ब्यायलर कैमिस्ट	सुपरवाइजरी -बी वेतनमान
08 वर्ष बाद	10 वर्ष बाद
सुपरवाइजरी -ए वेतनमान लैब कैमिस्ट / ब्यायलर कैमिस्ट	सुपरवाइजरी -ए वेतनमान हैड, पैन मेन, आदि / पैन इंचार्ज आदि रिक्ति / मेरिट के आधार पर।
05 वर्ष बाद	
न्यूनतम योग्यता बी०एस०सी (भौतिक / रसानियक विज्ञान, गणित) लैब इंचार्ज (रिक्ति / मेरिट / चयन के आधार पर) निगम वेतनमान ₹ 6500-10500 ब्यायलर कैमिस्ट यदि बी०सी०सी० (भौतिक / रसानियक विज्ञान, गणित) हो तथा लैब इंचार्ज का अनुभव प्राप्त कर लिया हो तो रिक्ति स्थान पर चयन प्रक्रिया द्वारा चयन किया जा सकता है।	

3.4


## वेजावोर्ड के अन्तर्गत सिविल अभियन्त्रण संवर्ग

अवर अभियन्ता (सिविल) डिप्लोमाधारक अथवा समकक्ष सुपरवाइजरी -सी वेतनमान
03 वर्ष बाद
अवर अभियन्ता (सिविल) सुपरवाइजरी -बी वेतनमान
03 वर्ष बाद
अवर अभियन्ता (सिविल) सुपरवाइजरी -ए वेतनमान
03 वर्ष बाद
सहायक अभियन्ता (सिविल) पद के लिए अर्ह वेतनमान ₹ 6500-10500 चयन/मेरिट के आधार पर

b. y

वेजबोर्ड के अन्तर्गत लेखा संवर्ग

सहायक लेखाकार/लेखालिपिक ग्रेड-1/लागत सहायक सुपरवाईजरी -सी वेतनमान 08 वर्ष बाद	सुपरवाईजरी-बी वेतनमान में न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा अवधि के बाद वरिष्ठ लेखाकार वेतनमान ₹ 6500-10500 के पद के लिए अर्ह।
सुपरवाईजरी -बी सहायक लेखाकार/लागत सहायक समयमान वेतनमान 07 वर्ष बाद	
सुपरवाईजरी -ए लेखाकार/लेखाकार लागत 08 वर्ष बाद	
वरिष्ठ लेखाकार के लिए अर्ह निगम वेतनमान ₹ 6500-10500 चयन/मेरिट/रिक्ति के आधार पर	

  
 (सुरेन्द्र सिंह रावत)  
 प्रशासक